



Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 28 जनवरी, 2022

लाला लाजपत राय

28 जनवरी, 2022 को देश भर में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी, 1865 को पंजाब के फरीज़पुर ज़िले के 'धुडीके' नामक एक छोटे से गाँव में हुआ था। लाला लाजपत राय भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज (Arya Samaj) में शामिल हो गए। बपिनि चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने चरमपंथी नेताओं की एक तकड़ी (लाल-बाल-पाल) बनाई। उन्होंने वर्ष 1917 में अमेरिका में 'होम रूल लीग ऑफ अमेरिका' की स्थापना की और इसके द्वारा अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिये नैतिक समर्थन मांगा। उन्होंने अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने और उन्हें मशिनरियों के चंगुल से बचाने के लिये वर्ष 1897 में 'हृद्दि राहत आंदोलन' की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1921 में 'सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी' की स्थापना की। वे आर्य गजट के संपादक एवं संस्थापक थे। साथ ही उन्होंने वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की आधारशिला भी रखी। उन्हें 'पंजाब केसरी' (Punjab Kesari) और 'पंजाब का शेर' (Lion of Punjab) नाम से भी जाना जाता था।

डेटा गोपनीयता दविस

प्रतिवर्ष 28 जनवरी को दुनिया भर में डेटा गोपनीयता दविस (DPD) का आयोजन किया जाता है। इस दविस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों को डेटा गोपनीयता के प्रति संवेदनशील बनाना और गोपनीयता प्रथाओं एवं सदिधांतों के प्रसार को बढ़ावा देना है। यह दविस गोपनीयता की संस्कृतिकविकसिति करने हेतु सभी हितधारकों को अपना दायित्व नभाने के लिये प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष 'डेटा गोपनीयता दविस' की थीम है- 'प्राइवैसी मैटर्स।' यह थीम दर्शाती है कि गोपनीयता प्रत्येक व्यक्तिके जीवन का अभिन्न अंग है और साथ ही यह डेटा गोपनीयता को लेकर जवाबदेही की भावना पैदा करती है। ध्यातव्य है कि भारत में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कई प्रयास किये गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में [के.एस. पुट्टासवामी बनाम भारत संघ](#) मामले में नजिता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने डेटा संरक्षण के अनुशासन में कानून का प्रस्ताव करने के लिये न्यायमूर्तबी. एन. श्रीकृष्ण समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधियक, 2018 के रूप में अपनी रिपोर्ट और मसौदा सरकार को सौंपा। संसद ने वर्ष 2019 में इसे संशोधित किया और नए विधियक को [व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधियक, 2019](#) नाम दिया।

राष्ट्रीय पर्यटन दविस

25 जनवरी, 2022 को पर्यटन मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय पर्यटन दविस' का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय पर्यटन दविस के लिये इस वर्ष की थीम 'ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन' रखी गई थी। इस दविस के आयोजन का उद्देश्य आम लोगों को राष्ट्र के विकास में पर्यटन के महत्त्व के विषय में जागरूक करना है। साथ ही यह दविस भारत की विशिष्ट धरोहर को दुनिया भर के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष 27 सितंबर को दुनिया भर में 'विश्व पर्यटन दविस' मनाया जाता है। पर्यटन विश्व भर में लाखों लोगों के लिये आजीविका का अवसर प्रदान करता है और इससे भी कहीं अधिक लोगों को अलग-अलग संस्कृतियों और प्राकृतिक खूबसूरती को करीब से देखने का अवसर प्रदान करता है। पर्यटन और आतथिय उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी व्यापक प्रभाव पड़ता है और ये उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। गौरतलब है कि वैश्विक पर्यटन उद्योग महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित होने वाले उद्योगों में से एक है और महामारी ने इस उद्योग को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित किया है।

आंध्र प्रदेश में 13 नए ज़िलों का नरिमाण

आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के मौजूदा 13 ज़िलों की सीमाओं का परसिमन करके 13 नए ज़िले बनाने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार के इस नरिणय का उद्देश्य राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में ज़िलों की कुल संख्या 26 हो गई है। ध्यातव्य है कि आंध्र प्रदेश भाषायी आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य था और इससे पहले 1979 में अवभाजित आंध्र प्रदेश में एक नया ज़िला बनाया गया था। यह वजियनगरम ज़िला था। वदिति हो कि नए ज़िले बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है। ऐसा या तो राज्य विधानसभा में कानून पारित करके या एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार कार्यालय राजपत्र में अधिसूचना भी पारित कर सकती है।

